न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या 75 / 2025 — अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
राधादेवी पत्नी भंवरदान जाति चारण, निवासी ओलेचा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. दरिया कंवर पत्नी मोतीदान जाति चारण, निवासी ओलेचा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :— अधिवक्ता प्रार्थीनी :— श्री नवलसिंह राठौड़।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव जिला-बाड़मेर

—:: आदेश ::—

दिनांक : 22.01.2026

प्रार्थीनी के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीन संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत मौजा रणकदेव, तहसील शिव के खसरा नम्बर 166 / 26, 170 / 66 रकबा क्रमशः 23.19, 13.02 बीघा के आये हुए थे। वाद में पक्षकारान् के मध्य विभाजन किया गया, जिसमें प्रार्थीनी के हिस्से में खसरा नम्बर 166 / 26 रकबा 9.05 बीघा भूमि आपसी सहमति से सड़क पर रखी गयी, जिसके नये खसरा नम्बर 213 / 166 कायम किया गया। प्रार्थीनी का उसी अनुसार ही मौके पर कब्जा काश्त है एवं रहवासी ढाणी बनी हुई है। उक्त विवादित आराजी में राजस्व रेकर्ड के लट्ठा नक्शा में तरमीम अंकित करते समय राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा विवादित आराजी की तरमीम बिना मौका मुआयना किये तथा कब्जा काश्त की बिना जांच किये व बिना सक्षम आदेश गलत तरमीम कर दी गई, जिसे मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। उक्त गलत तरमीम से खातेदारान् का कब्जा काश्त एक दुसरे की तरमीम में आ गये है तथा मौके पर कब्जा काश्त प्रभावित हो रहा है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीनी द्वारा उक्त विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर पक्षकारान् के माफिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम एवं रेकर्ड दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर वास्तविक कब्जा एवं लट्ठा नक्शा की तरमीम में भिन्नता है। न्यायालय हाजा के वाद संख्या 55 / 2020 की पालना में विभाजन प्रस्ताव अनुसार पारित नामांतरकरण में तरमीम दर्ज करते समय भूलवंश गलत खसरा [illegible] दर्ज हो गया है। रेकर्ड में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं होने पर मौका फर्द [illegible] नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार पक्षकारान् के वास्तविक कब्जा काश्त [illegible] तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.02.02 18:35:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीनी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा मे विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर वास्तविक कब्जा काश्त एवं लट्ठा नक्शा की तरमीम में भिन्नता है। न्यायालय हाजा के वाद संख्या 55/2020 की पालना में विभाजन प्रस्ताव अनुसार पारित नामांतरकरण में तरमीम दर्ज करते समय भूलवंश गलत खसरा नम्बर दर्ज हो गया है। रेकर्ड में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं होने पर मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार पक्षकारान् के वास्तविक कब्जा काश्त अनुसार एवं विभाजन प्रस्ताव अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई है। साथ ही प्रार्थीनी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तदनुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा रणकदेव, तहसील शिव में प्रार्थीनी के खेत खसरा नम्बर 213/166 रकबा 1.4974 हैक्टेयर एवं विप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 212/166 रकबा 2.3795 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तदनुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)
उपखण्ड अधिकारी
शिव

आदेश आज दिनांक 22.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)
उपखण्ड अधिकारी
शिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.02.02 18:35:29 IST
Reason: SelfAttested